अध्याय २१

करों तथा अन्य निगम देयों (dues) की वसूली

५०३—निगम करों की वसूली की रीति— कोई भी निगम कर नियमों द्वारा विहित रीति से निम्नलिखित ढंगों से वसूल किया जा सकता है—

(१) बिल प्रस्तुत करके ;

(२) मांग की लिखित नोटिस तामील करके ;

(३) बाकीदार की चल सम्पत्ति के अभिहरण (distraint) तथा बिक्री से ;

(४) बाकीदार की अचल सम्पत्ति की कुर्की (attachment) तथा बिक्री से ;

(५) [ख] [* * * *]

(६) सम्पत्ति कर की दशा में सम्पत्ति पर देय किराये को कुर्क करके ;

(७) वाद द्वारा।

५०४—बिल प्रस्तुत करना— (१) जैसे कोई व्यक्ति [ख] [* * *] तात्कालिक (immediate) मांग पर देय [१][* * *] किसी कर के रूप में किसी धनराशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी हो जाय, मुख्य नगराधिकारी यथाशीघ्र ऐसे उत्तरदायी वयक्ति को बिल प्रस्तुत करवायेगा।

(२) जब तक नियम द्वारा अन्यथा व्यवस्था न हो, कोई भी व्यक्ति प्रत्येक कर तथा अनुज्ञाप्ति शुल्क (licence fee) के भुगतान के लिए उस अवधि के आरम्भ होते ही उत्तरदायी हो जायगा, जिसके सम्बन्ध में ऐसा कर या शुल्क देय हो।

५०५—बिल में समाविष्ट होने वाले विषय— उक्त प्रत्येक बिल में निम्नलिखित का उल्लेख होगा—

(क) अवधि जिसके निमित्त तथा सम्पत्ति, पेशा (occupation) हैसियत (circumstances) या कोई बात जिसके सम्बन्ध में किसी धनराशि का मांग की गयी हो, तथा

(ख) भुगतान न करने की दशा में लागू किये जाने वाले (enforceable) दायित्व या शासित (penalty) तथा

(ग) समय, यदि कोई हो, जिसके भीतर धारा ४७२ में उपबन्धित अपील की जा सकती हो।

५०६—मांग की नोटिस— यदि कोई धनराशि, जिसके निमित्त उपर्युक्त बिल प्रस्तुत किया जाय, निगम के कार्यालय में या उस व्यक्ति को, जो किसी विनियम द्वारा ऐसा भुगतान लेने के लिये अधिकृत किया गया हो, बिल प्रस्तुत करने के १५ दिन के भीतर न दे दी जाय, तो मुख्य नगराधिकारी उत्तरदायी व्यक्ति पर नियम द्वारा विहित प्रपत्र (form) में उक्त धनराशि के भुगतान के मांग का नोटिस तामील करा सकता है।

५०७—वारन्ट कार्यान्वित करने की रीति— यदि उक्त धनराशि के भुगतान के लिये उत्तरदायी व्यक्ति मांग के ऐसे नोटिस के तामील होने के १५ दिन के भीतर—

(क) नोटिस में मांगी गई धनराशि का भुगतान न करे, या

(ख) मुख्य नगराधिकारी अथवा ऐसे पदाधिकारी को, जिसे निगम विनियम द्वारा एतदर्थ नियुक्त करे, उसके संतोषानुसार उक्त धनराशि के भुगतान न किये जाने के कारण न बताये,

तो ऐसी धनराशि वसूली सम्बन्धी समस्त व्ययों (coste) सहित नियमों में विहित प्रपत्र में निगम द्वारा जारी कराये गए वारन्ट द्वारा अथवा बाकीदार की चल सम्पत्ति की तत्समान प्रभावी अभिहरण (distress) या बिक्री द्वारा वसूल की जा सकती है।

(२) इस धारा के अधीन जारी किये गये उक्त प्रत्येक वारन्ट पर मुख्य नगराधिकारी के या उपधारा (१) के खंड (ख) में निर्दिष्ट पदाधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

५०८—वारन्ट की कार्यान्वित के लिये बलपूर्वक प्रवेश— उस निगम पदाधिकारी के लिये, जिसे धारा ५०७ के अधीन जारी किया गया वारन्ट सम्बोधित किया जाय, यह वैध होगा कि वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय, निम्नलिखित परिस्थितियों में, और अन्यथा नहीं वारन्ट में आदिष्ट अभिहरण को कार्यान्वित करने के लिये भवन के किसी बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर उसमें प्रवेश करे—

(क) यदि वारन्ट में ऐसी कोई विशेष आज्ञा हो जिसमें उसे एतदर्थ प्राधिकृत किया गया हो ;

(ख) यदि उसे यह विश्वास करने के उचित कारण हों कि भवन में ऐसी सम्पत्ति है, जिसे वारन्ट के अधीन अधिगृहीत किया जा सकता है ; तथा

(ग) यदि, अपना प्राधिकार (Authority) और प्रयोजन बताने और यथावत् प्रवेश मांगने के पश्चात् उसे अन्यथा प्रवेश न मिल सकता हो ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त पदाधिकारी महिलाओं के किसी कक्ष में तब तक न प्रवेश करेगा अथवा उसके दरवाजे को तब तक न तोड़ेगा जब तक कि उसने किसी भी महिला को, जो वहां हो, वहां से हट जाने का अवसर न दे दिया हो :

५०६—वारन्ट कार्यान्वित करने की रीति— उपधारा (२) तथा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उक्त पदाधिकारी के लिये उस व्यक्ति को, जिसका नाम बाकीदार के रूप में दर्ज किया गया हो, चल सम्पत्ति को, जहां कहीं भी वह हो, अभिहरण (distress) करना वैध होगा।

(२) निम्नलिखित सम्पत्ति अभिहृत न की जायगी—

(क) बाकीदार, उसकी पत्नी तथा बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र तथा विस्तरे,

(ख) कारीगरों (artisans) के औजार,

(ग) लेखा–पुस्तकें (books of account),

(घ) यदि बाकीदार खेतिहर (agriculturist) हो तो खेती के औजार, बीज और ऐसे पशु जो उसके जीविकोपार्जन के लिये आवश्यक हो।

(३) अभिहरण (distress) अतिशय (excessive) न होगा, अर्थात् अभिहृत सम्पत्ति मूल्य में यथासम्भव उस धनराशि के बराबर होगी, जिसे वारन्ट के अधीन वसूल किया जाना है और यदि किसी ऐसे व्यक्ति की राय में, जिससे धारा ५०७ की उपधारा (२) के अधीन वारन्ट पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार दिया गया हो, कोई ऐसी वस्तुयें अभिहृत हो गयी हों, जो अभिहृत न होनी चाहिये थी, तो वो तुरन्त वापस कर दी जायगी।

(४) उक्त पदाधिकारी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने के पश्चात् तुरन्त उसकी सूची (invantory) बनायेगा तथा उसे हटाने से पहले उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे में वह सम्पत्ति अभिग्रहण के समय रही हो, नियम द्वारा विहित प्रपत्र में इस आशय का एक लिखित नोटिस देगा कि वह सम्पत्ति नोटिस में दी गयी व्यवस्था के अनुसार बेच दी जायगी।

५१०—वारन्ट के अधीन सामानों की बिक्री और उससे प्राप्त धन का उपयोग— (१) यदि अभिग्रहीत सम्पत्ति जल्द और स्वाभाविक रूप से खराब हो जाने वाली हो अथवा यदि उसे अभिरक्षा (custody) में रखने का व्यय मय उस धनराशि के, जिसे वसूल किया जाना है, सम्पत्ति के मूल्य से बढ़ जाने की आशंका हो, तो मुख्य नगराधिकारी या अन्य ऐसा पदाधिकारी, जिसने वारन्ट पर हस्ता क्षर किये हो, उस वयक्ति को, जिसके कब्जे से सम्पत्ति अभिग्रहीत की गयी थी, इस आशय का तुरन्त एक नोटिस देगा कि उसे फौरन बेच दिया जायगा और यदि वारन्ट में उल्लिखित धनराशि का तुरन्त भुगतान नहीं कर दिया जाता तो वह उसे तद्नुसार बेच देगा।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन सम्पत्ति तुरन्त बेच नहीं दी जाती तो अभिग्रहीत सम्पत्ति अथवा उसका पर्याप्त भाग, वारन्ट को कार्यान्वित करने वाले पदाधिकारी द्वारा तामील किये गए नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, निगम की आज्ञा के अधीन सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेच दिया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा, जिसने वारन्ट पर हस्ताक्षर किये हो, वारन्ट निलम्बित कर न दिया जाय या बाकीदार देय धन और नोटिस, वारन्ट अभिहरण और सम्पत्ति के निरोध (detention) के सम्बन्ध में हुए समस्त व्ययों का भुगतान न कर दे।

(३) अधि–धन (surplus), यदि कोई हों, तुरन्त हो निगम निधि में जमा कर दिया जायगा तथा उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से सम्पत्ति ली गयी थी, जमा किये गये उक्त धन के सम्बन्ध में फौरन नोटिस दिया जायगा और यदि नोटिस के दिनांक से एक वर्ष के भीतर मुख्य नगराधिकारी को दिये गये लिखित प्रार्थना–पत्र द्वारा उसके सम्बन्ध में कोई दावा किया जाय तो वह उस व्यक्ति को वापस कर दिया जायगा। यदि नोटिस के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उक्त धन के सम्बन्ध में कोई दावा न किया जाय तो वह निगम की सम्पत्ति हो जायगी।

५११—नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही की प्रक्रिया— (१) यदि किसी बाकीदार को पर्याप्त चल सम्पत्ति या ऐसी सम्पत्ति, जो उस भू–गृहादि पर हो जिसके सम्बन्ध में उस पर कर निर्धारित किया गया हो, नगर के भीतर प्राप्त न हो तो निगम के प्रार्थना–पत्र देने पर जिला मैजिस्ट्रेट अपने न्यायालय के किसी पदाधिकारी को—

(क) बाकीदार की किसी ऐसी चल सम्पत्ति अथवा सामानों (effects) के अभिहरण और बिक्री के लिए जो जिला मैजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्रस्थ किसी अन्य भाग में हो, या

(ख) बाकीदार के किसी ऐसी चल सम्पत्ति अथवा सामानों के अभिहरण और बिक्री के लिए, जो किसी अन्य ऐसे जिला मैजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में हो, जो उत्तर प्रदेश में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता हो, अथवा वारन्ट जारी कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन कार्यवाही होने की दशा में, अन्य जिला मैजिस्ट्रेट इस प्रकार जारी किये गये वारन्ट की अनुलिखित (endorse) करेगा तथा उसे कार्यान्वित करवायेगा और वसूल हुई किसी धनराशि को वारन्ट जारी करने वाले जिला मैजिस्ट्रेट को प्रेषित करा देगा और वह उसे निगम को भेज देगा।

५१२—बाकीदार की अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूली— धारा ५०७ की उपधारा (१) में वर्णित परिस्थितियों में मुख्य नगराधिकारी या धारा ५०७ की उपधारा (१) के खंड (ख) में निर्दिष्ट पदाधिकारी के चल सम्पत्ति के अभिहरण और बिक्री का वारन्ट जारी करने के स्थान पर जब ऐसा वारन्ट जारी हो चुका हो किन्तु वसूल की जाने वाली धनराशि पूर्णतः अथवा अंशतः वसूल न हुई हो, बाकीदार की अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री के लिए वारन्ट जारी कर सकता है।

५१३–चल सम्पत्ति की दशा में वारन्ट किस प्रकार कार्यान्वित होगा– (१) जब किसी अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री का वारन्ट धारा ५१२ के अधीन जारी किये जाये तो कुर्की ऐसी आज्ञा द्वारा की जायेगी जो बाकीदार को उक्त सम्पत्ति को किसी प्रकार से हस्तान्तरित अथवा भारित करने से तथा समस्त व्यक्तियों को ऐसे किसी हस्तान्तरण अथवा भार (charge) से लाभ उठाने से प्रतिषिद्ध करे तथा इस बात की घोषणा करे कि यदि ५ दिन के भीतर उक्त देय धन तथा वसूली का व्यय निगम के कार्यालय में जमा न किया गया तो सम्पत्ति बेच डाली जायगी।

(२) ऐसी आज्ञा सम्पत्ति पर या उसके सन्निकट किसी स्थान पर डुग्गी पीट कर या अन्य रूढ़िगत ढंग (customary mode) से घोषित की जायगी तथा आज्ञा की एक प्रति सम्पत्ति के किसी प्रमुख स्थान पर तथा निगम के कार्यालय के प्रमुख स्थान पर और यदि सम्पत्ति ऐसी हो जिससे राज्य सरकार को मालगुजारी मिलती हो तो उस जिले के कलेक्टर के कार्यालय में भी ; जहां वह भूमि स्थित हो, चिपका दी जायगी।

(३) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना किया हुआ अभिहृत सम्पत्ति के किसी भार (charge) का या तदन्तर्गत स्वत्व (interest) का हस्तान्तरण, कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय (enforceable) निगम के सभी दावों के विरूद्ध शून्य होगा।

५१४–अचल सम्पत्ति की बिक्री– यदि देय धनराशि धारा ५१३ की उपधारा (१) में उल्लिखित अवधि के भीतर अदा न कर दी जाय। तो मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा से अचल सम्पत्ति अथवा उसके पर्याप्तांश आम नीलाम द्वारा बेचा जा सकता है, जब तक कि वह वारन्ट को निलम्बित न कर दे या बाकीदार वसूली व्यय सहित देय धनराशि अदा न कर दे। मुख्य नगराधिकारी बिक्री से प्राप्त धनराशि या उसके ऐसे अंश को, जो आवश्यक हो, उक्त देय धनराशि तथा वसूली के व्ययों की अदायगी में लगायेगा।

(२) अधि–धन (surplus), यदि कोई हो तुरन्त निगम निधि में जमा कर दिया जायगा, किन्तु यदि विक्रय के दिनांक से ६ महीने के भीतर मुख्य नगराधिकारी को लिखित प्रार्थना–पत्र देकर अधि–धन के लिए दावा प्रस्तुत किया जाय तो वह बाकीदार को वापस कर लिया जायगा और यदि किसी अधि–धन का पूर्वोक्तानुसार ६ महीने के अन्दर दावा न किया जाय तो वह निगम की सम्पत्ति हो जायगी।

(३) यदि बाकीदार विक्रय होने से पूर्व देय धनराशि तथा वसूली की लागत का भुगतान कर दे तो अचल सम्पत्ति की कुर्की के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह उठा ली गयी है।

(४) इस धारा के अधीन अचल सम्पत्ति के विक्रय नियमों में विहित रीति से संचालित होगे।

(५) पूर्वोक्तानुसार अचल सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी उसका कब्जा ऐसे व्यक्ति को दे देगा जिसे खरीदार घोषित किया गया हो तथा उसे इस आशय का एक प्रमाण–पत्र देगा कि उसने वह सम्पत्ति खरीद ली है जिसका प्रमाण–पत्र में निर्देश है।

(६) मुख्य नगराधिकारी के लिए वह वैध होगा कि विक्रयार्थ प्रदर्शित अचल सम्पत्ति के लिए निगम की ओर से नाममात्रिक बोली (nominal bid) बोले, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी बोली के सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो।

(७) मुख्य नगराधिकारी किसी पुलिस पदाधिकारी को किसी अचल सम्पत्ति पर से किसी ऐसे व्यक्ति को हटाने का आदेश दे सकता है जो उपधारा (५) के अनुसार की गयी उसकी किसी कार्यवाही में बाधा डालता हो तथा वह ऐसा बल भी प्रयोग कर सकता है जो ऐसी सम्पत्ति में प्रवेश के लिये समुचित रूप से आवश्यक हो।

५१५–[* * *][ख३.]

५१६–देय किराये की कुर्की– (१) यदि सम्पत्ति कर के रूप में देय किसी धनराशि के निमित्त किसी भू–गृहादि के अध्यासी को धारा ५०४ की उपधारा (१) के अनुसार कोई बिल दिया जाय तो मुख्य नगराधिकारी उसके दिये जाने के समय या तत्पश्चात् किसी समय अध्यासी पर नोटिस तामील कराके यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति को, जो उक्त कर के भुगतान के लिए प्रथमतः (primary) उत्तरदायी हो, देय अथवा देय होने वाले किराये में से निगम को इतनी धनराशि दे जिससे उक्त देय धनराशि का भुगतान किया जा सके।

(२) ऐसा नोटिस उक्त किराये की कुर्की के समान प्रभावी होगा जब तक कि सम्पत्ति कर के रूप में देय धनराशि की अदायगी और भरपाई न हो जाय तथा अध्यासी का यह अधिकार होगा कि वह उक्त नोटिस के अनुसार अपने द्वारा निगम को दी गयी धनराशि उस व्यक्ति के किराये के हिसाब में से काट ले जिसे वह देय हो।

(३) पूर्वोक्त रूप से तामील किये गये नोटिस के अनुसार यदि किसी अध्यासी को यह आदेश दिये गये हो कि वह देय अथवा देय होने वाला किराया निगम को अदा करे और वह अध्यासी उक्त किराये की धनराशि निगम को न दे तो मुख्य नगराधिकारी उस धनराशि को उसी प्रकार वसूल कर सकता है मानो वह धारा ५०४ के अधीन सम्पत्ति कर की कोई बकाया हो।

५१७–यदि आवश्यक हो तो बाकीदारों पर बकाये के लिये वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा– किसी बाकीदार के विरूद्ध

अभिहरण (कपेजतमे), कुर्की (attachment) और विक्रय, जिनकी इसके पूर्व व्यवस्था की गयी है, द्वारा कार्यवाही करने के बजाय अथवा यदि बाकीदार के विरूद्ध, ऐसी कार्यवाही में कोई सफलता न मिली हो अथवा आंशिक सफलता मिली हो, तो कर के रूप में किसी बाकीदार द्वारा देय (due) कोई धनराशि अथवा उसका कोई शेष भाग (balance), जैसी भी स्थिति हो, सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले किसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके उससे वसूल किया जा सकता है।

५१८–शुल्क व व्यय (cost)– (क) धारा ५०६ के अधीन जारी किये गये प्रत्येक नोटिस का शुल्क–

(ख) धारा ५०६ के अधीन किया गया प्रत्येक अभिहरण (कपेजतमे) का शुल्क ; तथा

(ग) उक्त धारा के अधीन अभिगृहीत (seized) पशु धन के रख–रखाव के व्यय (costs), राज्य सरकार द्व ारा एतदर्थ बनाये गये नियमों में क्रमशः निर्दिष्ट दरों से वसूल किये जा सकेगे (shall be chargeable) तथा उन्हें धारा ५०७ के अधीन आदेश (to be levied) वसूली के व्ययों में सम्मिलित किया जायगा।

५१६–अपवाद– इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभिहरण (कपेजतमे), कुर्की (attachment) या विक्रय अवैध नहीं समझा जायेगा और न उसके अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति बिल, नोटिस, अभिहरण (distress) के वारन्ट, सूची (inventery) या तत्सम्बन्धी कार्यवाही में कोई त्रुटि या कमी (defect of want) होने के कारण अनाधिकार प्रवेश करने वाला (trespasser) ही समझा जायगा।

५२०–ऐसे देयों (dues) की वसूली, जिनके सम्बन्ध में घोषणा की जा चुकी हो कि वे कर के रूप में वसूल किये जा सकते है– कोई निगम देय धनराशियां (dues), जिनके सम्बन्ध में इस अधिनियम या नियमावली या उपविधियों द्वारा यह घोषणा की जा चुकी हो कि वह इस अध्याय में उपबन्धित रीति से वसूल किये जा सकते है, मुख्य नगराधिकारी द्वारा यथासंभव धारा ५०४ से ५१४ तथा ५१६ से ५१६ तक के उपबन्धों के अनुसार उसी प्रकार वसूल की जायगी मानो वे कोई कर हों।

५२१–कुछ धाराओं के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा सामानों को हटाये जाने के सम्बन्ध में व्ययों की वसूली– (१) मुख्य नगराधिकारी द्वारा, जो धारा २६६ या धारा ३०२ की उपधारा (३) या धारा ३०३ या धारा ३०५ की उपधारा (३) या धारा ३०५ की उपधारा (१) या धारा ३३१ के अधीन जारी किये गये लिखित नोटिस का अनुपालन न होने की दशा में, धारा ५५८ के अधीन किये गये व्यय तथा उपधारा (२) में निर्दिष्ट अन्य सभी व्यय और परिव्यय (charges), यदि कोई हो, उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, हटाये गए सामान की बिक्री से वसूल किये जा सकेंगे तथा यदि ऐसे सामान की बिक्री से प्राप्त धन यथेष्ट न हो तो उक्त सामान का स्वामी शेष धन का भुगतान करेगा।

(२) यदि सामान हटाने का व्यय किसी भी दशा में सामान की बिक्री से पहले अदा कर दिया जाय तो मुख्य नगराधिकारी सामान को उसके मालिक को वापस कर देगा यदि उस सामान का स्वामी उसके बिकने अथवा अन्य रूप से निस्तारित होने के पूर्व तथा मुख्य नगराधिकारी द्वारा तदर्थ अथवा उसके अभिप्रेत (intented) विक्रय अथवा निस्तारण के सम्बन्ध में किये गये अन्य समस्त व्यय, यदि कोई हो, तथा अन्य ऐसे समस्त परिव्यय (charges), यदि कोई हों, जिन्हें मुख्य नगराधिकारी सामान को जमा रखने (storage) के कारण निश्चित करे, अदा करने के पश्चात् उस सामान को वापस लेने के सम्बन्ध में दावा करे।

(३) यदि उपधारा (२) के अधीन सामान स्वामी को वापस न किया जाय तो मुख्य नगराधिकारी उसे नीलाम द्वारा बेच देगा या अन्य ऐसी रीति से निस्तारित करेगा जो वह उचित समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि सामान शीघ्र नष्ट होने वाला है तो उसे तुरन्त बेचा या निस्तारित किया जा सकता है और यदि शीघ्र नष्ट होने वाला नहीं है तो उसके हटाये जाने के दिनांक से एक महीने के भीतर यथा सुविधा बेचा या निस्तारित किया जायेगा, चाहे सामान को हटाने का व्यय तथा उसे जमा रखने के परिव्यय, यदि कोई हो, इसी बीच में अदा कर दिये गये हों या नहीं तथा विक्रय अथवा अन्य प्रकार के निस्तारण से प्राप्त धन, यदि कोई हों, उसमें से, विक्रय का अन्य प्रकार के निस्तारण के व्यय और यदि आवश्यक हो, सामान हटाने का व्यय तथा उसे जमा रखने (storage) से सम्बद्ध परिव्यय (charge) काट लेने के बाद निगम निधि में जमा किया जायेगा तथा निगम की सम्पत्ति होगी।

५२२–इस अधिनियम के अधीन वसूलने योग्य व्यय मांग करने पर देय होंगे और यदि मांग करने पर अदा न किये जायं तो वे सम्पत्ति कर की बकाया की भांति वसूल किये जायेंगे– (१) यदि इस अधिनियम, किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के अधीन मुख्य नगराधिकारी अथवा धारा ११६ में एतदर्थ अधिकृत किसी निगम पदाधिकारी द्वारा अथवा उसकी आज्ञा के अधीन कोई निर्माण–कार्य (work), कार्य (measure) या बात (thing) सम्पादित की गयी हो और उसके व्ययों का भुगतान किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना हो तो मांग करने पर ऐसे व्यय देय (payable) होंगे।

(२) यदि उक्त व्यय मांग करने पर अदा न किये जायं तो इस धारा की उपधारा (४) तथा ४८१ की उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, मुख्य नगराधिकारी द्वारा बाकीदार की चल सम्पत्ति अभिहरण (distress) तथा बिक्री द्वारा या अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा उसी प्रकार वसूल किये जा सकेगें मानो वे बाकीदार द्वारा देय सम्पत्ति कर हों।

(३) मुख्य नगराधिकारी द्वारा उपधारा (१) के अधीन व्ययों के भुगतान की मांग करने पर यदि उनके इस प्रकार मांग प्रस्तुत करने के अधिकार या मांगी हुई धनराशि के सम्बन्ध से अथवा मुख्य नगराधिकारी द्वारा धारा ३०८ की उपधारा (२) के अधीन कोई अस्थायी कार्य सम्पादित करने की दशा में इस अस्थायी कार्य की आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई विवाद खड़ा कर दिया जाय तो मुख्य

नगराधिकारी निर्धारण के लिये उसे न्यायाधीश (Judge) के पास भेज देगा।

(४) मुख्य नगराधिकारी न्यायाधीश (Judge) का निर्णय होने तक अपने द्वारा अभियाचित (claimed) धनराशि की वसूली से सम्बद्ध आगे की कार्यवाही को रोक देगा तथा निर्णय के पश्चात् धारा ४८१ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केवल ऐसी धनराशि, यदि कोई हो, वसूल करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा जो निर्णय द्वारा देय (due) धनराशि निर्धारित की जाय।

५२३–यदि बाकीदार उस भू–गृहादि का स्वामी हो जिसके सम्बन्ध में व्यय देय हो तो अध्यासी भी उस व्यय का देनदार होगा– यदि धारा ५२२ में निर्दिष्ट व्यय किसी भवन या भूमि में अथवा पर, या उसके सम्बन्ध में सम्पादित किये गये किसी निर्माण कार्य या की गयी किसी बात के सम्बन्ध में या किसी निजी सड़क से सम्बद्ध किसी भवन या भूमि के सम्बन्ध में किये गये किसी कार्य के फलस्वरूप देय हो और बाकीदारे ऐसे भवन, भूमि या उस भू–गृहादि का, जो सड़क के सामने, उसके पार्श्व में या उससे संलग्न हो, जैसी भी स्थिति हो, स्वामी है, तो सम्बद्ध धनराशि की किसी ऐसे व्यक्ति से मांग की जा सकती है जो उक्त व्ययों के भुगतान से पूर्व किसी भी समय उक्त स्वामी के अधिकाराधीन उस भवन, भूमि या भू–गृहादि पर अध्यासित रहा हो तथा यदि ऐसा व्यक्ति उस धनराशि का भुगतान न करे तो वह उसकी चल सम्पत्ति के अभिहरण (distress) तथा विक्रय से अथवा अचल सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय से उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह धनराशि उसके द्वारा देय सम्पत्ति कर हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि–

(क) जब तक उक्त व्यक्ति, मुख्य नगराधिकारी द्वारा मांग करने पर यह बात कि वह व्यक्ति उक्त भवन या भू–गृहादि के लिये कितना किराया देता है तथा उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसे किराया देय होता है, सच–सच बताने की उपेक्षा अथवा उससे इनकार न करे तब वह व्यक्ति उक्त व्ययों के रूप में उस धनराशि से अधिक का देनदार न होगा जो मांग करने के समय तक उसके द्वारा उस भवन, भूमि या भू–गृहादि के किराये के रूप में उसके स्वामी को देय हो, किन्तु इस बात को सिद्ध करने का भार उक्त व्यक्ति पर ही होगा कि उससे मांगी गई धनराशि उसके द्वारा स्वामी को देय धनराशि से अधिक है।

(ख) उक्त व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि यदि उसने उक्त व्ययों के कारण कोई धनराशि दी है अथवा कोई धनराशि उससे वसूल की गयी है तो वह उसे स्वामी के हिसाब में से काट ले।

(ग) इस धारा की कोई बात उक्त किसी निर्माण–कार्य, बात या कार्य के व्ययों के बारे में उक्त व्यक्ति तथा भवन, भूमि या भू–गृहादि के, जो उसके अध्यासन में है, स्वामी के बीच हुये किसी अनुबन्ध पर प्रभाव न डालेगी।

५२४–मुख्य नगराधिकारी व्यय को किस्तों में लेने के लिये अनुबन्ध कर सकता है– उपर्युक्त व्ययों की पूर्वोक्तानुसार किसी रीति से वसूल करने के बजाय मुख्य नगराधिकारी, यदि वह उचित समझे और कार्यकारिणी समिति को स्वीकृति से, उन व्ययों के देनदार व्यक्ति से अनुबन्ध कर सकता है कि वह व्यक्ति उस धनराशि को ऐसी किस्तों में तथा ऐसे कालान्तरों (intervals) में अदा करे जिससे पूरी देय धनराशि उस ब्याज सहित, जो उस पर ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक ऐसी दर से लगाया जाएगा, जिसे कार्यकारिणी समिति समय–समय पर निश्चित करे, ५ वर्ष से अनधिक की अवधि के भीतर वसूल हो जाय।

५२५–कुछ व्यय विकास व्यय घोषित किये जा सकते है– (१) इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन किसी भवन या भूमि के सम्बन्ध में दिये गये (supplied) किसी सामान या संधयन (fittings) या उनमें, उन पर अथवा उनके सम्बन्ध में सम्पादित किये गये किसी निर्माण–कार्य अथवा की गई किसी बात के सम्बन्ध में हुए व्यय, जो उस भवन या भूमि के स्वामी या अध्यासी से वसूल किये जा सकते (recoverable) हों, विनियमों के अधीन रहते हुए विकास व्यय घोषित किये जा सकते हैं। यदि मुख्य नगराधिकारी निगम की स्वीकृति से उन्हें इस प्रकार घोषित करना उचित समझे और ऐसी घोषणा होने पर उक्त व्यय तथा उपधारा (२) के अधीन उन पर देय ब्याज उन भू–गृहादि पर भार (charged) होंगे जिनके सम्बन्ध में अथवा जिनके लाभ के लिए वे व्यय किये गये हों।

(२) विकास व्यय किस्तों में वसूल किये जा सकेंगे जो किसी भू भू–गृहादि के लिए १२ रूपये प्रतिवर्ष से कम की न होगी। ये व्यय ऐसे कालान्तरों (intervals) में वसू किए जायेंगे जिनसे वे उस ब्याज सहित, जो उन पर ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक की ऐसी दर से लगाया जायगा, जिसे कार्यकारिणी समिति समय–समय पर निश्चित करे, ३० वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि में अदा किए जा सकेंगे जिसे प्रत्येक मामले में मुख्य नगराधिकारी निगम के अनुमोदन से निर्धारित करे।

(३) ऐसी किस्तें उस भू–गृहादि के, जिस पर व्यय और उसका ब्याज भारित हो, अध्यासी द्वारा देय होंगी अथवा ऐसे व्ययों के भुगतान की निश्चित अवधि व्यतीत होने से पूर्व या ब्याज सहित उक्त धनराशि पूर्णरूप से अदा किए जाने से पूर्व उक्त भू–गृहादि के किसी भी समय अनध्यासित हो जाने की दशा में, उक्त किस्तें, भू–गृहादि अनध्यासित रहने की अवधि तक उक्त भू–गृहादि के स्वामी द्व ारा देय होंगी।

५२६–विकास व्ययों की निश्चित अनुपात किराये में से काटा जा सकता है– (१) यदि कोई ऐसी अध्यासी, जिसके द्वारा कोई विकास व्यय अदा किए जाते हैं, ब्याज सहित भारित व्यय वाले किसी भू–गृहादि में किराये पर हरता हो तो उसे यह अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा भू–गृहादि के स्वामी को देय किराये में से पूर्वोक्त व्यय तथा ब्याज के रूप में किए गये भुगतानों के निमित्त किराये का तीन चौथाई भाग काट ले।

(२) यदि वह भू–गृहादि का स्वामी (landlord), जिसके किराये में से ऐसी कटौती की जाय, स्वयं ही उस भू–गृहादि के लिए, जिसके सम्बन्ध में कटौती की जाती हो, किराये का देनदार हो तथा वह भू–गृहादि उसके अधिकार में ऐसी अवधि के लिए हो

जिसके २० से कम वर्ष अव्यतीत हों (किन्तु अन्यथा नहीं) तो वह अपने द्वारा देय किराये में से ऐसे अनुपात में कटौती कर सकता है, जो अपने द्वारा देय और अपने को प्राप्य किराये में होता हो और यही क्रम एक ही (same) भू–गृहादि के ऐसे प्रत्येक स्वामी (जिसके अधिकार में वह भू–गृहादि २० वर्ष से अनधिक अव्यतीत अवधि के लिए हो) के सम्बन्ध में लागू होगा जो किराया प्राप्त कर रहा हो और किराये का देनदार भी हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा में किसी भी बात का ऐसा अर्थ न लगाया जायगा कि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा देय किराये में से उसे प्राप्य किराये से काटी गई कुल धनराशि से अधिक काट लेने का अधिकार मिल गया है।

५२७–विकास व्यय के निमित्त भार विमोचन (redemption of charge)– ब्याज सहित विकास व्यय के भुगतान की अवधि व्यतीत होने से पूर्व किसी भी समय, उस भू–गृहादि का, जिस पर ऐसे व्यय भारित हो, स्वामी या अध्यासी, मुख्य नगराधिकारी को उक्त व्यय का ऐसा भाग तथा ऐसा देय (due) ब्याज, यदि कोई हो, अदा करके, जो हपले से अदा न किया गया हो अथवा वसूल न हुआ हो, उक्त भार (charge) का विमोचन (redemption) कर सकता है।

५२८–धारा ५२४ व ५२५ के अधीन देय किस्तों की वसूली– धारा ५२४ अथवा ५२५ के अधीन देय कोई भी किस्त या वह किस्त, जो देय हो जाने पर भी अदा न की जाय, मुख्य नगराधिकारी द्वारा उस व्यक्ति की, जिसके द्वारा यह देय हो, चल सम्पत्ति के अभिहरण (distress) और बिक्री अथवा अचल सम्पत्ति की कुर्की (attachment) और बिक्री करके उसी प्रकार वसूल की जा सकती है मानो वह उक्त व्यक्ति द्वारा देय कोई सम्पत्ति कर हो।

५२९–किसी भू–गृहादि के स्वामी द्वारा चूक करने पर अध्यासी कार्य सम्पन्न कर सकता है तथा स्वामी से व्यय वसूल कर सकता है– जब किसी भवन या भूमि का स्वामी कोई ऐसा कार्य सम्पादित नहीं करता जिसकी उससे इस अधिनियम या किसी नियम, विनिमय या उपविधि के अधीन अपेक्षा की जाती हो तो ऐसी भूमि या भवन का अध्यासी, यदि कोई हो, मुख्य नगराधिकारी की स्वीकृति से उक्त कार्य सम्पन्न कर सकता है तथा उस प्रकार सम्पन्न किये गये कार्य का उचित व्यय स्वामी से वसूल करने का अधिकार होगा और वसूली के अन्य किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह उसे स्वामी को समय–समय पर अपने द्वारा देय किराये में से काट सकता है।

५३०–व्यय अथवा प्रतिकर के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध उनकी वसूली का वाद प्रस्तुत किया जा सकता है– किसी व्यय या प्रतिकर की, जिसकी देय ध्नराशि यहां पर पहले (hereinbefore) वर्णित रीति से निश्चित की जा चुकी हो, वसूली के सम्बन्ध में पूर्वोक्त रूप से कार्यवाही करने के बजाय या जब ऐसी कार्यवाही असफल या अंशतः सफल रही हो, तो देय धनराशि अथवा शेष (balance) धनराशि, जैसी भी स्थिति हो, सक्षम अधिकार क्षेत्र युक्त न्यायालय में उत्तरदायी व्यक्ति (person liable) के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करके वसूल की जा सकेगी।

––––––––––––––––

ख१,. उ०प्र० अधिनियम संख्या १८ सन् १९९० की धारा १३ द्वारा निकाली गयी।
ख२, उ०प्र० अधिनियम संख्या १८ सन् १९९० की धारा १४ द्वारा निकाली गयी।
ख३,. उ०प्र० अधिनियम संख्या १८ सन् १९९४ की धारा १५ द्वारा निकाली गयी।